"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 416] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 सितम्बर 2013—भाद्र 19, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, दाऊ कल्याण सिंह भवन के समीप, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ-118/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/1042.—दिनांक 3 सितम्बर 2013 को नगर पंचायत गुण्डरदेही, जिला-बालोद (अविभाजित जिला दुर्ग) छ.ग. के 2 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-118/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. कलिन्दा निषाद, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत गुण्डरदेही, जिला-बालोद (अविभाजित जिला दुर्ग) छ.ग.

2. सोनकर बंशीलाल, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत गुण्डरदेही, जिला-बालोद (अविभाजित जिला दुर्ग) छ.ग.

आदेश

(छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 3 सितम्बर 2013

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), दुर्ग (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 23 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत गुण्डरदेही के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 8 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 23 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत गुण्डरदेही के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी कलिन्दा निषाद एवं सोनकर बंशीलाल द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा के साथ सत्यापन हेतु शपथपत्र निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा अभ्यर्थी कलिन्दा निषाद एवं सोनकर बंशीलाल से शपथपत्र प्राप्त करने हेतु निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिनांक 23 मई 2011 द्वारा दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में संबंधित को सूचित करने पर अभ्यर्थी सोनकर बंशीलाल द्वारा दिनांक 7 जुलाई 2013 को निष्पादित वांछित शपथपत्र दिनांक 18 जुलाई 2013 को निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत होने पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा ज्ञापन दिनांक 23 जुलाई 2013 द्वारा आयोग को उपलब्ध कराया गया. अभ्यर्थी कलिन्दा निषाद द्वारा वांछित शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आयोग द्वारा दिनांक 8 मई 2012 को कारण बताओ सूचना जारी कर जवाब (लिखित अभ्यावेदन) 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई कि विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको 5 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए नगर पंचायत का अध्यक्ष अथवा पार्षद होने के लिए निरर्हित क्यों न किया जाए. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी कलिन्दा निषाद को दिनांक 14 जून 2012 को सम्यक् रूप से तामील की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी कलिन्दा निषाद को सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी उसके द्वारा अपना जवाब (लिखित अभ्यावेदन/शपथपत्र) आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना जाकर कि उक्त अभ्यर्थी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है; उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी कलिन्दा निषाद एवं सोनकर बंशीलाल ने निर्वाचन व्यय लेखा सम्यक् रूप से शपथपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1), 32-ख एवं निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 7 (4) की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 7 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. कंडिका (4) के अनुसार निर्वाचन व्यय लेखा के साथ प्रोफार्मा-ग में शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा इसके बिना लेखा पूर्ण होना नहीं माना गया है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 7 (4) निम्नानुसार है —

"7. **निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया जाना**—(4) निर्वाचन व्ययों के लेखा के साथ प्रोफार्मा-ग में एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे शपथ-पत्र के बिना लेखा पूर्ण नहीं माना जाएगा."

उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि निर्वाचन अधिकारी ने इसे अपने प्रतिवेदन में दिनांक 25 जनवरी 2010 उल्लेखित किया है. अभ्यर्थी कलिन्दा निषाद ने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 30 दिसम्बर 2009 को एवं सोनकर बंशीलाल ने दिनांक 2 जनवरी 2010 को बिना शपथपत्र के प्रस्तुत कर दिया था.

5. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत गुण्डरदेही के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी कलिन्दा निषाद ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में दाखिल किया था किन्तु निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 7(4) की अपेक्षानुसार विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही निर्वाचन व्यय लेखा मय शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में आयोग को अपना कोई जवाब (लिखित अभ्यावेदन) प्रस्तुत किया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी कलिन्दा निषाद प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. अधिनियम की धारा 32-ग में बिना अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्यता रहित असफलता के लिए आदेश की तारीख से 5 वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिए निरर्हित करने का प्रावधान है. लेकिन विद्यमान परिस्थिति में दो वर्ष एवं छः माह की कालावधि हेतु निरर्हित करना न्याय के हित में उचित प्रतीत होता है. तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी कलिन्दा निषाद को निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग(ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से दो वर्ष एवं छः माह की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. जहां तक अभ्यर्थी सोनकर बंशीलाल का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा यद्यपि निर्धारित प्रोफार्मा में शपथपत्र दिनांक 18 जुलाई 2012 को प्रस्तुत किया गया है लेकिन उन्होंने विधि की अपेक्षानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया है. अतएव अभ्यर्थी सोनकर बंशीलाल के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना उचित प्रतीत नहीं होता है. तद्नुसार अभ्यर्थी सोनकर बंशीलाल के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जाती है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 3 सितम्बर 2013 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.